संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

सतपुडा–भवन, भोपाल
मध्यप्रदेश

क्रमॉक/औषधि प्रकोष्ठ/सेल– /10/ भोपाल,दिनॉक जुलाई, 2010

प्रति,

1/ समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय,मध्यप्रदेश ।
2/ संचालक, गैस राहत, भोपाल ।
3/ समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
4/ समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, मध्यप्रदेश ।
5/ समस्त अधीक्षक, विशेष अस्पताल, मध्यप्रदेश ।

विषयः–(1) नवीन दवा नीति वर्ष 2009 का पालन करने बाबत् ।
(2) द्वितीय त्रैमास हेतु जारी बजट आवंटन से कृपया पालन सुनिश्चित करें ।
(3) तमिलनाडू की औषधियों की तथा आर.सी.एच. कीटस् की बुकलेट संबंधी ।

–000–

पूर्व में आपको लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी वर्ष 2009 की नवीन दवा नीति भेजी गई थी, पुनः प्रेषित है । अनुरोध है कि दवा नीति का भली भॉंति अध्ययन कर इसका पालन सुनिश्चित करें । दवा नीति अनुसार दवाओं आदि के आदेश उपरान्त दवा आदि प्राप्त होने के तीन दिवस में अधिकृत टेस्टिंग लेब में जांच हेतु सेम्पल भेजे जावेगे । संचालनालय द्वारा आपको शीघ्र ही तमिलनाडू मेडिकल सर्विस कारपोरेशन के माध्यम से की गई निविदाओं के आधार पर औषधि एवं दवायें, सूचर, सर्जिकल एवं सामग्री एवं अनुबंध किये गये प्रयोगशालाओं की दर सूची उपलब्ध कराई जाएगी । निविदा की शर्तें आदि उपलब्ध कराई जावेगी तथा अधिकृत क्रयकर्ता अधिकारियों की सूची । यह सभी सूची विभाग की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित की जावेगी ।

2/ दवा/सामग्री के निर्माताओं के पते, दूरभाष, ई–मेल, एवं फैक्स की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाऐगी । अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, संचालक, गैस राहत एवं विशेष अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी,एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जो क्रय आदेश जारी करेंगे उसकी सूचना संयुक्त संचालक (औषधि प्रकोष्ठ) को संचालनालय में भेजना सुनिश्चित करें । जिससे प्रदायकर्ता फर्म द्वारा दी

जाने वाले सामग्री, औषधि एवं दवाओं के किस बेच के सेम्पल, टेस्ट हेतु भेजे जाना की जानकारी दी जावेगी । यह सुनिश्चित करना होगा कि एक बेच की दवाओं के सेम्पल को एक बार ही टेस्ट कराया जाए चूंकि इसकी टेस्टींग की लागत दवा प्रदायकर्ता फर्म से काटी जाऐगी ।

3/ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बजट शाखा से जारी किये गये बजट में से प्रति माह औषधि सामग्री पर किया गया खर्च पास बुक में अपने स्तर पर पंजीबद्ध कर हर माह की स्थिति, संचालनालय को सूचित करेंगे । दवा नीति के अनुसार ऑन लाईन ड्रग डिस्ट्रीब्युशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है जिससे संचालनालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक स्तर पर ऑन लाईन दवाओं की जानकारी संधारित की जावेगी ।

4/ नवीन दवा नीति के अन्तर्गत सभी औषधि एवं दवाओं को समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, संचालक,गैस राहत,समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल, अधीक्षक एवं समस्त अधीक्षक,विशेष अस्पताल द्वारा दी गई दरों के अनुसार चिंन्हीत प्रदायकर्ताओं को क्रय आदेश दिये जाने होंगे । आदेश में सामग्री की मात्रा तय कर उन्हें त्रैमासिक भागों में बाटकर क्रय आदेश दिया जाना होगा जिसमें सप्लाई हेतु 03 पृथक-पृथक तारीख तय् की जानी होगी सभी आदेश की सप्लाई के साथ जॉच प्रमाणपत्र एवं देयक संलग्न होंगे, प्राप्ति के 03 दिवस के अंदर जांच हेतु प्रयोगशाला में औषधि के सेम्पल को भेजना होगा ।

5/ आपके यहॉ के नामांकित सदस्यों को संभागीय स्तर पर इसका प्रशिक्षण दिया जाना है । जिले/संभाग में प्रशिक्षित नामांकित सदस्य से पूर्ण जानकारी लेकर तद्नुसार टेस्टींग की कार्यवाही करें । टेस्टींग की जानकारी तथा प्राप्ति की जानकारी संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये में संयुक्त संचालक (औषधि प्रकोष्ठ) को ई-मेल drbsohhri@yahoo.co.in and bs.ohri @mp.gov.in द्वारा सूचित किया जाना होगा । एक बेच का एक ही सेम्पल टेस्ट किया जाना होगा, जिसे सभी संभागों द्वारा मान्य किया जाना होगा । तकनीकी समिति द्वारा जिन दवा निर्माताओं द्वारा ब्रान्डेड ड्रग कोट किए गए है उनकी सप्लाई जेनेरिक नाम से ही करनी होगी । टेस्टिंग Empanelled Laboratory हेतु संबंधित क्रय अधिकारी छपी पुस्तिका में दिए

गए टेस्टिंग रेट तथा दवा देखकर संबंधित प्रयोगशाला में सेम्पल भेजें । इस हेतु ड्रग डिस्ट्रीब्युशन मैनेजमेंट सिस्टम ऑन लाईन मैसर्स ब्राड लाईन द्वारा स्थापित की जावेगी तथा उनके द्वारा ऑन लाईन सेम्पल टेस्टींग दर्शाया जाकर इस हेतु हेन्ड होल्डिंग भी की जावेगी । दवा नीति अनुसार 45 दिवस के अंदर ही टेस्टींग उपरान्त प्राप्त सामग्री के देयक का भुगतान सुनिश्चित करें आर्डर की कापी फैक्स तथा स्पीड पोस्ट द्वारा निर्माता फर्म को भेजे । स्पीड पोस्ट का दिनांक प्राप्ति दिनांक से 60 दिन मान्य होगा तथा प्रत्येक त्रैमास में प्राप्त सामग्री का मूल्य, बैच नम्बर एवं भुगतान उपरान्त बजट राशि की जानकारी संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये में संयुक्त संचालक (औषधि प्रकोष्ठ) को भेजे । समस्त औषधियाँ निर्धारित रंग के रेपर में तैयार की जाऐगी जिस पर " मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्मित " अनिवार्यतः अंकित होगा । सभी औषधियों के क्रय आदेश " जनरिक नेम " से ही करें । केन्द्रीयकृत व्यवस्था में सक्षम अधिकारियों द्वारा समय–समय पर प्राप्त औषधियों एवं उपरोक्त दी गई प्रक्रिया का आन्तरिक अंकेक्षण रिपोर्ट हर त्रैमास पर संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में संयुक्त संचालक (औषधि प्रकोष्ठ) को भेजना सुनिश्चित करें । इसमें स्टॉँक स्टेटमेंट, बचे हुए देयकों की सूची एवं देयक लंबित होने के कारणों तथा आने वाले दवाओं के क्रय आदेशों की वास्तविक स्थिति दर्शाते हुये संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये में संयुक्त संचालक (औषधि प्रकोष्ठ) को अवगत करायें । प्रत्येक त्रयमास की क्रय की स्थिति भेजी जावें । साफ्टवेयर संचालन हेतु डाटा एन्ट्री आपरेटर जो ब्राड लाईन **Pro MIS** साफ्टवेयर पर कार्य करना जानता हो नियुक्त किया जाकर संयुक्त संचालक (औषधि प्रकोष्ठ) को रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें तथा भण्डार अधिकारी का नाम एवं दूरभाष क्रमॉँक भी देंवे, इसके अलावा एक नोडल अधिकारी समय–समय पर क्रय आदेश जारी करने हेतु नाम एवं दूरभाष क्रमॉँक भी सूचित करें । अनिवार्य औषधि सूची के आधार पर Fast Moving 209 औषधियों की सूची अनुसार आवंटन कर सकेंगे । आवंटन राशि हेतु शेष EDL औषधि लोकल स्तर से खुली निविदा द्वारा आवंटन का 20 प्रतिशत से अधिक नही होगा । अधिक क्रय करने के लिये वरिष्ठ कार्यालय से अनुमति आवश्यक होगी ।

6/ रूपये 5.00 लाख से कम राशि के उपकरण,औजार क्रयकर्ता अधिकारी स्वयं क्रय कर सकेंगे । रूपये 5.00 लाख से अधिक राशि के क्रय हेतु सक्षम अधिकारी से विधिवत् अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात किया जा सकेगा ।

7/ क्रय की जानी वाली औषधियों की प्रदायगी आदेश से 45 दिवस के अन्तर्गत होगा । First expiry, First out के आधार पर भण्डार प्रक्रिया अपनाई जाऐगी तथा 06 माह के अन्तर्गत expire होने वाली औषधियों को उपयोग में लाना सुनिश्चित किया जाना होगा । यदि संभाग किसी औषधि का उपयोग नही कर पा रहे हैं तो अन्य संभाग से उसकी आवश्यकता की जानकारी प्राप्त कर उपयोग हेतु संयुक्त संचालक (औषधि प्रकोष्ठ) से अनुमोदन प्राप्त कर भेजी जा सकेगी । इस हेतु औषधि प्रकोष्ठ प्रभारी द्वारा समय–समय पर समीक्षा भी की जावेगी । जिसमें सामग्री की अनुपलब्धता, कालतीत औषधियों की समीक्षा, अधिक क्रय,कम क्रय अथवा गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का कार्यवाही विवरण तैयार कर बैठक में निराकरण किया जावेगा । जिलों द्वारा संचालनालय से प्राप्त एक समान फार्मेट अनुसार जिलों की इन्डेट बुक में औषधि प्रदायगी हेतु सुनिश्चित करें ।

गुणवत्ता

8/ वर्ष 2010–11 में चिंन्हित 09 प्रयोगशालाओं को राज्य स्तर से गुणवत्ता की जांच हेतु एक्रीडिटेड किया गया है प्राप्त औषधियों को तीन दिवस के अंदर इन्हें सूची में दिए गए प्रत्येक दवा की टेस्टींग संबंधित प्रयोगशालाओं से जांच कराई जाए तथा गुणवत्ता परीक्षण में होने वाले समस्त व्यय का वहन क्रयकर्ता अधिकारी द्वारा प्रदायकर्ता फर्म के देयक से कटोती कर किया जावेगा । अतः सुनिश्चित करें केवल एक बेच से एक ही सेम्पल जिसकी जांच की जाए उसे ड्रग डिस्ट्रीब्युशन मैनेजमेंट सिस्टम में भेजते वक्त ही बेच नम्बर के साथ प्रदर्शित कर दिया जाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अन्य प्रदायकर्ता उसी बेच के सेम्पल को दोबारा प्रयोगशाला में नही भेज सके ।

9/ प्राप्त औषधियों के हर बैच का " रेण्डम नमूना " जिला स्तरीय भण्डारगृह / चिकित्सा संस्थाओं से जिले के औषधि निरीक्षक एवं तकनीकी

समिति के किसी भी सदस्य द्वारा लिया जा सकेगा तथा परीक्षण प्रयोगशाला में कराया जा सकेगा ।

10/ जिला स्तर पर हाइग्रोस्कोपिक औषधियों को छोड़कर सभी औषधियों के स्ट्रिप से निकालकर तथा उनके लेबल हठाकर पृथक से यूनिक कोडिंग कर नमूने चिंन्हित प्रयोगशाला में भेजना होंगे ।

11/ जांच में "अवमानक स्तर" की पाई गई औषधि/सामग्री को प्रदायकर्ता फर्म द्वारा उस बैच की औषधियों को बदलना होगा या उक्त औषधि के मूल्य के बराबर की राशि संबंधी आदेशकर्ता के नाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होंगे । उक्त बेच की समस्त औषधियाँ प्रदायकर्ता फर्म द्वारा अवमानना स्तर की सूचना प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर ही स्वयं के व्यय से उठानी होगी अन्यथा उक्त औषधि/सामग्री को विनिष्ट कर दिया जावेगा । जिस पर होने वाला व्यय भी प्रदायकर्ता से वसूल किया जावेगा ।

<u>भुगतान</u>

12/ यदि सफल निविदाकर्ता अनुबंध का पालन नही करता है तो निम्नानुसार भुगतान में कटोती क्रयकर्ता के द्वारा किया जावेगा :–

12.1 समय सीमा में प्रदायगी न करने पर लिक्विडिटी डैमेज के रूप में 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन के मान से अधिकतम 7.5 प्रतिशत हेतु कटोती की जावेगी । एक बैच की सप्लाई पर केवल एक बार ही प्रदायकर्ता की आदेशित राशि 1.5 प्रतिशत की कटोत्रा टेस्टिंग एवं हेन्डलिंग चार्जेस की ओर किया जावेगा तथा इसकी सूची ऑन लाईन सभी को होंगी ।

12.2 यदि 60 दिन की समय उपरान्त भी प्रदायगी पूर्ण नही की जाती है तो शेष बचे आदेशित औषधि/सामग्री पर 20 प्रतिशत के मान से पेनाल्टी की कटोती की जावेगी तथा आदेश को स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा राज्य स्तर पर नोटिस देते हुये ई.एम.डी. जब्त कर ली जावेगी ।

12.3 विभाग द्वारा वैकल्पिक अनुमोदित सूची में उल्लेखित फर्मों से उक्त औषधि क्रय की जा सकेगी ।

13/ निर्माण फर्म, वितरक अथवा प्रदायगीकर्ता द्वारा प्रदाय की गई औषधियाँ पूरी अथवा उनका कोई भाग का उपभोग हो जाता है तथा उपभोग

उपरान्त वह अनुपयुक्त,निम्न गुणवत्ता अथवा अवमानक या उपभोग हेतु अनुपयुक्त पाई जाती है तो क्रय आदेश की सम्पूर्ण राशि प्रदायकर्ता इकाई से वसूल की जाऐगी तथा उसे ब्लेक लिस्टिंग प्रक्रिया अनुसार ब्लेक लिस्ट किया जाऐगा ।

14/ निविदा प्रक्रियाओं में समस्त प्रकरणों में विवाद उत्पन्न होने अथवा अन्य असाधारण परिस्थिति में सचिव/प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।

15/ टेण्डर की प्रक्रिया में समस्त कानूनी प्रकरणों का विधिक क्षेत्र मध्यप्रदेश के न्यायालय अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय होगा ।

16/ जो आइटम मरीजों के उपचार एवं अस्पताओं के प्रबंधन में आवश्यक है, उन्हें मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम के 14 (अ) एवं (ब) के अनुरूप ही क्रय किया जावेगा ।

17/ औषधि के सामग्री,उपकरण,औजार आदि का क्रय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम से मुक्त रहेगा ।

18/ प्रदायकर्ता द्वारा प्रदायित औषधियॉ/चिकित्सा सामग्री के देयकों का सत्यापन जिला स्तरीय भण्डारगृहों के प्रभारी द्वारा एवं उपकरणों के देयकों का सत्यापन चिकित्सा संस्था के प्रमुख द्वारा इंस्टॉलेशन एवं सफलतापूर्वक संचालन उपरान्त ही किया जावेगा । गुणवत्ता प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसकी प्रविष्टि की जाएगी । क्रयकर्ता अधिकारी द्वारा संस्था को आवंटित बजट से ही भुगतान स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टी कर किया जावेगा ।

19/ गुणवत्ता का मानक प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर 30 दिवस में भुगतान करने की जवाबदारी संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक एवं अन्य समस्त क्रयकर्ता अधिकारी की होगी । औषधि/सामग्री के 45 से 60 दिवस के भीतर अनिवार्य भुगतान किया जाना होगा । भुगतान में विलंब होने पर यदि कोई न्यायालयीन प्रकरण बनता है तो संबंधित अधिकारी व कर्मचारी की जिम्मेदारी तय कर ब्याज की राशि उनसे वसूल कर प्रदायकर्ता को देना होगी ।

उपरोक्त में यदि कोई शंका इत्यादि हो तो संयुक्त संचालक (औषधि प्रकोष्ठ) को निम्न दूरभाष पर सम्पर्क कर समाधान कर सकते हैं ।

दूरभाष क्रमांक 0755-2571694
फैक्स 0755-2576497
वेबसाईट **www.health.mp.gov.in**

(डॉ0ए.एन.मित्तल)
संचालक,
चिकित्सा सेवायें/एन.आर.एच.एम.
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./औषधि प्रकोष्ठ/सेल- /10/ भोपाल,दिनॉक जुलाई, 2010

प्रतिलिपि-

1/ सचिव,मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय-वल्लभ भवन, भोपाल ।
2/ संचालक,चिकित्सा शिक्षा,मध्यप्रदेश,सतपुडा भवन, भोपाल ।
3/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,मध्यप्रदेश ।
4/ वरिष्ठ निज सहायक,आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें,मध्यप्रदेश ।

संचालक,
चिकित्सा सेवायें/एन.आर.एच.एम.
मध्यप्रदेश